कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, बागेश्वर

पत्रांक – 1095/2ई0व0भू0, दिनांक 25 /04/2023

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
बागेश्वर वन प्रभाग,
बागेश्वर।

विषय :– जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र बागेश्वर के अन्तर्गत बागेश्वर से छतीना तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.945 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भ :– अपर प्रमुख वन संरक्षक, एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण, इन्दिरा नगर, फॉरेस्ट कालोनी, देहरादून का पत्रांक 55/FP/UK/ROAD/142498/2021 दिनांक 06 जुलाई,2022

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक सन्दर्भ का अवलोकन करने का कष्ट करें, अपर प्रमुख वन संरक्षक, एवं नोडल अधिकारी कार्यालय द्वारा लगायी गयी आपत्तियों का निस्तारण कर निस्तारण आख्या निम्न प्रकार है :–

क्रम सं0	लगायी गयी आपत्ति	आपत्ति का उत्तर
1	प्रस्ताव में आनॅलाईन पार्ट–I, A(iii) में प्रस्ताव का संक्षिप्त विवरण अंकित नंही किया गया है। प्रस्ताव का संक्षिप्त विवरण अंकित करने का कष्ट करें।	प्रस्ताव में आनॅलाईन पार्ट–I, A(iii) में प्रस्ताव का संक्षिप्त विवरण अंकित कर दिया गया है।
2	प्रस्ताव में सभी प्रपत्रों को मूल प्रति में संलग्न करने का कष्ट करें।	प्रस्ताव में सभी प्रपत्रों को मूल प्रति में संलग्न कर पेषित की जा रही हैं।
3	भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र भाग–1,2 व 3 को प्रस्ताव में कमवार संलग्न करने का कष्ट करें।	भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र भाग–1,2 व 3 को प्रस्ताव में कमवार संलग्न कर प्रेषित की जा रही हैं।
4	वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव को परिवेश पोर्टल पर अपलोड करने हेतु श्री नवल किशोर द्विवेदी, सहायक अभियन्ता को अधिकृत किया गया है, इसके अतिरिक्त उक्त हेतु प्रस्ताव में संलग्न Authority Letter में कृष्ण कुमार तिलारा, अधिशासी अभियंता को भी अधिकृत किया गया है। कृपया स्थिति स्पष्ट करने का कष्ट करें।	अधिकारियों के स्थानान्तरण हो जाने के कारण परिवेश पोर्टल पर वर्तमान अधिकारी के नाम Authority Letter अपलोड करने पर सभी प्रस्तावों हेतु एक ही अधिकारी का नाम दिखाई देने के कारण ऑन लाईन एवं हार्ड कापी में अधिकृत अधिकारियों के Authority Letter में अन्तर आ जाता है। अतः परिवेश पोर्टल पर संशोधित करने आवश्यकता है, जो आपके स्तर किया जाना है।
5	प्रस्ताव में संलग्न प्रभावित वृक्षों की सूची में वृक्षों का वैज्ञानिक' नाम, सामान्य नाम एंव इंग्लिश नाम सहित व्यासवार एंव प्रजातिवार सूची प्रस्ताव में संलग्न करने का कष्ट करें।	प्रस्ताव में संलग्न प्रभावित वृक्षों की सूची में वृक्षों का वैज्ञानिक' नाम, सामान्य नाम एंव इंग्लिश नाम सहित व्यासवार एंव प्रजातिवार सूची प्रस्ताव में संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।
6	प्रस्ताव में प्रभावित होने वाले पेड़ों की गणना 7 मीटर एंव 9 मीटर ROW में अलग–अलग करते हुये कुल प्रभावित पेड़ों की व्यासवार सूची आनॅलाईन अपलोड करते हुये प्रस्ताव में संलग्न करने का कष्ट करें।	प्रभावित होने वाले पेड़ों की गणना 7 मीटर एंव 9 मीटर ROW में अलग–अलग करते हुये कुल प्रभावित पेड़ों की व्यासवार सूची आनॅलाईन अपलोड कर प्रस्ताव में संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।
7	प्रस्ताव में संलग्न प्रपत्र–22 बांज वृक्षों के पातन के प्रमाण–पत्र में सम्बन्धित वन संरक्षण के हस्ताक्षर अपेक्षित हैं।	कार्यचवाही आपके स्तर से की जानी है।

8	प्रस्ताव मे एन0पी0वी0 आंकलन नई दरों के अनुसार आंकलित कर संलग्न करने का कष्ट करें।	कार्यचवाही आपके स्तर से की जानी है।
9	लाभान्वित होने वाले ग्रामों की वर्तमान समरेखण एंव वैकल्पिक संमरेखण से दूरी प्रस्ताव में अंकित करें।	लाभान्वित होने वाले ग्रामों की वर्तमान समरेखण एंव वैकल्पिक समरेखण से दूरी प्रस्ताव में अंकित कर दिया गया है।
10	प्रस्ताव के प्रपत्र–16 में परियोजना की लम्बाई एंव चौड़ाई के प्रमाण–पत्र में प्रभागीय वनाधिकारी के हस्ताक्षर अकिंत नंही किये गये हैं।	प्रस्ताव के प्रपत्र–16 में परियोजना की लम्बाई एंव चौड़ाई के प्रमाण–पत्र भारत सरकार के निर्देशानुसार उक्त सूचना प्रयोक्ता ऐजेन्सी द्वारा तैयार कर प्रस्ताव के साथ संलग्न की जाती है, जिसमें प्रयोक्ता ऐजेन्सी के ही हस्ताक्षर होते हैं।
11	प्रस्ताव में संलग्न लैण्ड शेड्यूल प्रपत्र–15.1, 15.2 एंव 15.3 में संम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी के हस्ताक्षर अपेक्षित हैं।	भारत सरकार के निर्देशानुसार प्रस्ताव में संलग्न लैण्ड शेड्यूल प्रपत्र–15.1, 15.2 एंव 15.3 राजस्व विभाग से संम्बन्धित होने के कारण प्रयोक्ता ऐजेंसी एवं राजस्व विभाग द्वारा ही हस्ताक्षर कियेजाते हैं, जबकि प्रत्र–15 वन विभाग से संबंधित होने के कारण प्रभागीय वनाधिकारी के हस्ताक्षर कर प्रेंषित किये जाते हैं। अतः प्रपत्र–15 में प्रभागीय वनाधिकारी एवं प्रपत्र–15.1, 15.2 एंव 15.3 में प्रयोक्ता ऐजेन्सी एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों के हस्ताक्षर कर प्रस्ताव की प्रतिपूर्ति की जाती है।
12	प्रभागीय वनाधिकारी की स्थलीय निरीक्षण आख्या मूल प्रति मे प्रस्ताव में संलग्न करने का कष्ट करें।	कार्यचवाही आपके स्तर से की जानी है।

संलग्न– प्रस्ताव तीन प्रतियों में।
संशोधित प्रस्ताव चार प्रतियों में।

25.4.23

Executive Engineer
Provincial Division PWD
Bageshwar

डिस्पैच
26/4/23
बागेश्वर वन प्रभाग
बागेश्वर